प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 1138 सन 2021
अनवान :–

1. मांगेलाल पुत्र रामकुमार जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र मेधदास जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर ।
2. लिछमाणदास पुत्र मेधदास जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 03.12.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 232/106 की कुल 21.1120हैक भूमि वादी व प्रतिवादीगण की मुश्तरका रिकार्ड में दर्ज है जिसमें 1/9 हिस्सा भूमि वादी के नाम तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,2 प्रत्येक के नाम 4/98 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 एक ही परिवार के सदस्य है वाद भूमि पूर्व में उनके पूर्वजो के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई थी किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि दर्ज करते समय वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम 1/3– 1/3 हिस्सा दर्ज किया जाना था किन्तु सहवन से हिस्सा कस्सी गलत तोर से दर्ज कर दी जिस पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 जो एक ही परिवार के सदस्य हे ने आपसी सहमति से परिवारिक समझौता किया गया कि सहवन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा कस्सी को सही तौर से करवाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 , 2 बहिब दर्ज करवा लेगे इसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 काश्त करते आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी की हिस्सा कस्सी बाहमी बटवारा /परिवारिक समझौता के अनुसार दर्ज नही है जिसे दर्ज करवा पाने के अधिकारी हे।

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में मांगेराम पुत्र राजकुमार दर्ज किया गया हे जबकि सही नाम मांगेलाल पुत्र राजकुमार है व प्रतिवादी संख्या 2 का नाम लिछमण पुत्र मेधदास अंकित है जबकि सही नाम लिछमणदास पुत्र मेधदास है नाम संशोधन करवाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वाद भूमि जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 प्रत्येक 1/3 हिस्स भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रशासन गांव कें संग अभियान में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में उनके पूर्वजो के नाम से दर्ज थी जिसका विरास्तन नामान्तकरण दर्ज करते समय सहवन से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 की हिस्सा कस्सी गलत तौर से दर्ज कर दी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के परिवारिक समझौता के अनुसार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब अर्थात प्रत्येक 1/3 हिस्सा के अधिकारी है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 प्रत्येक के नाम 1/3– 1/3 हिस्सा दर्ज किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 का नाम सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान – वर्ष –2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है तथा अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मंजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 232/106 की कुल 21.1120हैक भूमि वादी व प्रतिवादीगण की मुश्तरका रिकार्ड में दर्ज है जिसमें 1/9 हिस्सा भूमि वादी के नाम तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,2 प्रत्येक के नाम 4/98 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पूर्वजो के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 की हिस्सा कस्सी गलत तोर से दर्ज कर दी जिसके सम्बध में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का परिवारिक समझौता हुआ की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का वाद भूमि में 1/3– 1/3 हिस्सा है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी हे वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1, 2 की हिस्सा कस्सी सही तोर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में ईकबाल पेश किया जा चुका है ।

वादी का कथन है कि उसका सही नाम मांगेलाल पुत्र राजकुमार है एव प्रतिवादी संख्या 2 का नाम लिछमणदास पुत्र मेधदास हे किन्तु राजस्व रिकार्ड में मांगेराम व लिछमण अंकित है जिसे संशोधन करवाने के अधिकारी हे वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं मजमे आम की तस्दीक के आधार पर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 नाम संशोधन करवाने के अधिकारी हे ।?

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 232/106 की कुल 21.1120हैक भूमि में वादी व प्रतिवादी सख्या 1 ,2 बहिब यानी प्रत्येक 1/3 –1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है एवं वादी का नाम मांगेराम के स्थान पर मांगेलाल एवं प्रतिवादी संख्या 2 का नाम लिछमण के स्थान पर लिछमणदास संशोधित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 03.12.2021 को प्रशासन गावं कें संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट...पाण्डुसर

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. मांगेलाल पुत्र रामकुमार जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 ओमप्रकाश पुत्र मेधदास जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर ।
2. लिछमाणदास पुत्र मेधदास जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1138 सन 2021 निर्णय दिनांक– 03.12.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव कं संग अंभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि कि रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 232/106 की कुल 21.1120हैक भूमि में वादी व प्रतिवादी सख्या 1 ,2 बहिब यानी प्रत्येक 1/3 –1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है एवं वादी का नाम मांगेराम के स्थान पर मांगेलाल एवं प्रतिवादी संख्या 2 का नाम लिछमण के स्थान पर लिछमणदास संशोधित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 03.12.2021 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट....पाण्डुसर